याचिका | सबसे अधिक 54 की मौत, 57 प्रतिशत मौतें अप्राकृतिक

टाइगर स्टेट मप्र में ही टाइगर का जीवन असुरक्षित

जबलपुर। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में टागईर के जीवन असुरक्षित होने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि साल 2025 में सबसे अधिक 54 टाइगरों की मौत हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत के बाद से एक साल में होने वाली टाइगरों की मौत के मामले में सबसे अधिक है। जिनमें से 57 प्रतिशत टाइगर की मौत का कारण अप्राकृतिक है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने याचिका को गंभीरता से लेते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। भोपाल निवासी वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि दुनिया में टाइगर की कुल आबादी 5, 421 है। जिसमें से भारत में 3167 टाइगर है और उसकी लगभग 25 प्रतिशत आबादी 785 मध्य प्रदेश में है।

टागईर स्टेट होने के बावजूद भी साल 2025 में मध्य प्रदेश में 54 टाइगर की मौत हुई है। प्रदेश में साल 2022 में 43 मौतें, साल 2023 में 45 मौतें, साल 2024 में 46 मौतें हुई थी। इस साल की शुरूआती सप्ताह में ही प्रदेश में 6 टाइगरों की मौत हुई है। बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व ऑफिशियल डेटा के अनुसार लगभग 57 परसेंट मौतें अप्राकृतिक मानी जाती हैं। जिनकी वजह शिकार, करंट लगना या अनजान हालात होते हैं।

बांधवगढ़ टाइगर रिज़र्व और शहडोल फ़ॉरेस्ट सर्कल में पिछले तीन सालों (2021, 2022, और 2023) में हुई बाघों की मौत और शिकार की घटनाओं की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इन्वेस्टिगेशन कमिटी के चेयरमैन और इंचार्ज स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, भोपाल ने उसमें खुद कहा गया है कि पोस्टमॉर्टम के समय कोई वीडियोग्राफी नहीं की जाती है। मौत के समय प्रिलिमिनरी ऑफेंस रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं की जाती है। इसी तरह, पोस्टमॉर्टम के समय ज़्यादातर वेटनरी डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं और पोस्टमॉर्टम के समय सही सावधानी नहीं बरती जाती है और सबसे ज़रूरी बात ज्यादातर समय टाइगर के 'लड़ाई में' होने की रिपोर्ट की जाती है लेकिन कोई सही इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती है। याचिका में राहत चाही गयी है कि राज्य में बाघों के शिकार को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक दिशा -निर्देश जारी किये जाये। एक्सपर्ट्स की सिफारिशों को तुरंत लागू करते हुए संबंधित अधिकारियों के बीच तालमेल स्थापित करने निर्देश दिये जायें। बाघों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायें।

पुलिसकर्मी व पूर्व महापौर के बीच हुये विवाद की जांच करेगी एसटीएफ

वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता और वर्दी फाडने का स्पस्ष्ट वीडियो वायरल होने के बावजूद भी पूर्व महापौर व उनके समर्थकों के खिलाफ राजनीतिक दबाव में नामजद रिपोर्ट नहीं दर्ज किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर लार्डगंज थाना प्रभारी दोनों पक्षों की तरफ से दायर कराई गई एफआईआर व केस डायरी के साथ उपस्थित हुें। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने पाया कि दोनों शिकायत में सही व निष्पक्ष जांच नहीं की गयी है। युगलपीठ ने जांच एसटीएफ जबलपुर को सौंपने के निर्देश दिये है। युगलपीठ ने एसटीएफ को निर्देशित किया है कि वह अगली सुनवाई के दौरान सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट पेश करे। जबलपुर निवासी अधिवक्ता मोहित वर्मा की तरफ से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि पूर्व महापौर प्रभात साहू को लार्डगंज थानान्तर्गत बल्देवबाग के समीप वाहन चेकिंग दौरान पुलिसकर्मी ने बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हुए रोका था। पूर्व महापौर अपना परिचय देते हुए पुलिसकर्मी के साथ अभ्रदता करते लगे। इसके बाद समर्थकों के हुजूम एकत्र हो गया और पुलिस कर्मी की वर्दी फाड दी थी। पूरा घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इसके बावजूद भी राजनीतिक दबाव के कारण ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया। पुलिस कर्मी की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। वायरल वीडियो में आरोपियों की शिनाख्त स्पष्ट है। युगलपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं तो वह आम जनता को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे।

कारोबारी का अपहरण कर धूमा ले गए किडनैपर, 9 .50 लाख लेकर छोड़ा

फिल्मी स्टाइल में वारदात बंधक बनाया, धमकाया बेरहमी से पीटा

नवभारत, जबलपुर। बरगी थाना अंतर्गत मंगेला में सुकरी मंगेला मक्का खरीदी करने गए कारोबारी का फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया गया। अपहरणकर्ता धूमा तक ले गए और मक्का के उधार पैसे साढे नौ लाख रूपये की मांग पर अड़ गए। इसके बाद दो दिन तक उसे वहां बंधक बनाकर धमकाने के साथ बेरहमी से पीटा। इसके बाद साढ़े नौ लाख लेकर उसे छोड़ दिया। सनसनीखेज वारदात से पीड़ित दहशत में आ गया और बाद में उसने जैसे-तैसे हिम्मत कर थाने पहुंचा और पूरे घटनाक्रम से पुलिस को अवगत कराया। जिसके बाद मंगलवार को पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपहरण समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करते हुए अपहरणकर्ताओं की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है।

मक्का खरीदी करने मंगेला गया था व्यापारी

पुलिस के मुताबिक प्रशांत

विश्वास राव पिता स्व. प्रभाकर विश्वास राव निवासी रक्षा कर्मचारी कॉलोनी रांझी ने मंगलवार को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने एम कम की पढ़ाई किया है। गांव से मक्का खरीदकर शहर में बेचता है। लगभग 10 साल से मक्का खरीदने का व्यापार कर रहा है। 12 जनवरी को शाम 7 बजे जबलपुर से सुकरी मंगेला मक्का खरीदने में अपनी स्विफ्ट कार से गया था। फूलचंद के यहाँ से 70 क्विंटल मक्का 112000 रूपये में खरीदा और वह मक्का माजदा गाड़ी क्रमांक एमपी 20 जेड डब्ल्यू 2987 में लोड करवाया था।

पूर्व ग्राहक साथियों के साथ पहुंचा और जबरन कार में बैठाया

पीड़ित के मुताबिक जब वे मक्का लोड करवा रहा था तभी उसके पूर्व परिचित के ग्राहक राजेश राजपूत एवं ऋषि राजपूत अपने तीन साथियों के साथ सफेद रंग की स्विफ्ट कार से आये और मक्का के उधार पैसे साढ़े नौ लाख रूपये मांगने लगे तो उसके द्वारा मना किया गया कि अभी पैसे नहीं है इसी बात पर विवाद कर धमकाने लगे और स्विफ्ट कार में मारपीट करते हुए जबरदस्ती बैठा लिया और अपने साथ ले गए।

खनेरा, धूमा ले गए, दो दिन बंधक बनाया, मक्का से भरी गाडी रखी

पीड़ित के मुताबिक आरोपित उसे अपने गांव खनेरा लेकर गये वहाँ पर भी उसके साथ मारपीट की और बोले यदि थाना में रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। उसकी स्विफ्ट कार क्रमांक एमपी 20 सीके 6332 को उनके साथी ने चलाकर धूमा तक ले गया था और उसकी मक्का से भरी हुई माजदा गाड़ी अपने पास रख ली उसके बाद थाना धूमा लेकर गये वहाँ पर दो दिन तक बंधक बनाकर रखा इसके बाद उनके पैसे वापस कर अपनी मक्का से भरी हुई माजदा गाड़ी एवं स्विफ्ट कार से अपने साथ ड्रायवर व हेल्पर को वापस लेकर आ गया।

साढ़े तीन करोड़ का श्रीजी वेयर हाउस में धान घोटाला

खरीदी केन्द्र प्रभारी-कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर

जबलपुर। श्रीजी वेयर हाउस में साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक की धान के उपार्जन में हेराफेरी उजागर हुई है। मामले में खरीदी केंद्र के प्रभारी और कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ मझौली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल मझौली स्थित श्रीजी वेयर हाउस में प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की थी। जांच में पाया गया कि खरीदी केन्द्र प्रभारी रत्नेश भट्ट एवं कम्प्यूटर आपरेटर अमन सेन ने बिना धान भरायी तुलाई, सिंलाई एवं आर टू टी किये धान की मात्रा 14,934.50 क्विंटल तीन करोड़ तिरपन लाख उन्यासी हजार आठ सौ तीस रूपये की केन्द्र में आवक उपलब्धता के बिना ई उपार्जन पोर्टल पर आनलाईन फर्जी तरीके से एंट्री दर्ज करते हुए हेरा फेरी की है। इसके अलावा अन्य अनियमितताएं भी पाई गई थी। जिसको लेकर खाद्य विभाग ने अब प्रकरण दर्ज कराया है।

ये मिला गड़बड़झाला

प्रशसनिक टीम की छापेमारी के दौरान ई- उपार्जन पोर्टल अनुसार खरीदी केन्द्र में कुल खरीदी- 65,235.5 क्विंटल धान खरीदी किया जाना पाया गया। खरीदी स्थल श्रीजी वेयरहाउस 136 में 13 जनवरी 2026 को धान से भरी हुई कुल 31 बोरियो की तौल कराने पर वारदाना सहित वजन 22 किलो से 38 किलो पाया गया। 31 धान भरी बोरियों का औसत वजन मात्रा 33.42 किलो मिला। 14 जनवरी को पुन: जांच में 45 धान से भरी बोरियों की तौल कराने पर औसत वजन 35 किलो मिला। जबकि नियमानुसार एक बोरी का वजन (बारदाना सहित) 40.580 किलो होना चाहिए। केन्द्र में प्ला सी अंतर्गत मैपिंग हुये श्रीजी वेयरहाउस पिपरिया, मझौली में 4125.45 क्विंटल धान (11787 बोरी) भण्डागरण पूर्ण किया जाना पाया गया चूंकि बोरी की तौल का औसत वजन 35 किलोग्राम पाया गया।

14,934.50 क्विंटल कम पाई गई धान

जांच में पाया गया कि भगवती वेयरहाउस को 22,582.80 क्विंटल भण्डानरित करते हुये कुल खरीदी मात्रा 65,235.54 क्विंटल में से 45658.64 किंटल परिदान, भण्डारण पूर्ण किया होना पाया गया। जिसमें 19,576.9 क्विंटल ऑनलाइन शेष परिदान मात्रा पाई गई। सत्यापन करने पर उपलब्ध धान मात्रा 14,934.50 क्विंटल कम पाई गई।

बोरियों में नहीं था किसान कोड, स्टेकसिंल

जांच में धान से भरी बोरियों में किसान कोड एवं स्टेकसिंल लगी नहीं पाई गई। बारदाना गणना करने पर 87 गठान सहित 5000 लगभग खुला बारदाना परिसर में पाया गया। इस प्रकार उपार्जन केन्द्र में 48500 बारदाना पाया गया।

174 किसानों की 14505.20 किंटल खरीद एंट्री फर्जी

केन्द्र में आवक, उपलब्धाता के बिना ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन फर्जी खरीदी दर्ज कराते हुए हेरा-फेरी की गई है। ई-उपार्जन पोर्टल पर 174 किसानों की 14505 .20 किंटल धान खरीदी की एन्ट्री को फर्जी बताया गया। केन्द्र प्रभारी रत्नेश भट्ट एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर अमन सेन ने मिलकर 3,53,79,830 रूपये की शासकीय राशि की धान की हेरा-फेरी की है।

पेड़ से टकराई बाइक युवक की मौत

जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत उड़ना में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में युवक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को अभिषेक पटेल 33 साल निवासी ग्राम पौंडी (उड़ना) ने सूचना दी कि उसका साला राज पटेल निवासी प्रयागराज उत्तरप्रदेश का 17 जनवरी शनिवार को उसकी पत्नी शिवानी पटेल को लेने पौंडी आया था जिसके साथ मंगलवार को शिवानी और उसे प्रयागराज जाना था। सुबह खाना खाकर अपने चाचा भारत कुर्मी के बन रहे मकान पर देख रेख तराई करने चला गया। साला राज भी खाना खाकर उसकी मोटर साइकिल लेकर उड़ना बाजार गया था। दोपहर लगभग 2.45 बजे साला राज पटेल रोड किनारे नीचे खेत तरफ लगे बबूल के पड़े से टकराया पड़ा जिससे उसे चोटें आ गई। जिसे उपचार के लिए पाटन अस्पताल ले गए जहाँ डाक्टर ने चैक करने पर साले राज पटेल 20 वर्ष निवासी नई झूंसी जिला प्रयागराज को मृत घोषित कर दिया।

हिट एंड रन : पांच श्रमिकों को मौत की नींद सुलाने वाली कार जब्त

चालक फरार, हिरासत में मालिक, आरोपी बनाने की तैयारी में पुलिस

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत सिग्मा कान्हा कालोनी सालीवाड़ा के पास नेशनल हाईवे रोड में रविवार दोपहर तांड़व मचाते हुए पांच श्रमिकों को मौत की नींद सुलाने वाली कार को पुलिस ने सिहोरा से जब्त कर लिया है। हालांकि चालक अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। कार मालिक को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उसे भी प्रकरण में आरोपी बनाने की तैयारी है।

विदित हो कि सिग्मा कान्हा कालोनी सालीवाड़ा के पास नेशनल हाईवे रोड में डिवाइडर ग्रिल पर रंगाई, पुताई और सफाई का काम चल रहा था। मंडला जिले के ग्राम बम्होरी थाना बीजाडांडी, बम्होरी बिहारिया गांव के निवासी श्रमिक पिछले डेढ़ महीने से यहां मजदूरी कर रहे थे। रविवार को काम करने के बाद थके श्रमिक सड़क किनारे भोजन कर रहे थे रोड के दोनों ओर साइन बोर्ड व स्टापर लगे थे दोपहर लगभग 1-30 बजे बरेला तरफ से आ रही कार क्रमांक एमपी 20

एक्स बी 1460 का चालक साइन बोर्ड लगे होने के बाद भी तेज रफ्तार खतरनाक तरीके से वाहन को चलाते हुए लाया और रेलिंग की तरफ कार चलाकर श्रमिकों को कुचलते हुए फरार हो गया था। हादसे में 11 श्रमिक घायल हुए जिसमें दो की मौके पर मौत हुई जबकि तीन ने देर रात दम तोड़ दिया था। हादसे में श्रीमति चेनवती गौड़ 45 वर्ष एवं श्रीमति लछ्छो बाई 40 वर्ष की मौके पर मौत हो गई थी जबकि देर रात्रि श्रीमति वर्षा कुशराम 45 वर्ष, श्रीमति गुमता बाई 40 वर्ष, श्रीमति कृष्णा बाई कडोपा 40 वर्ष सभी निवासी ग्राम बम्होरी की मौत हो गई थी। हिट एंड रन को लेकर सोमवार को आक्रोशितजनों ने शवों को रखकर चक्काजाम किया था। मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रूपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी और श्रमिकों की जान लेने वाले आरोपी कार चालक की गिरफ्तारी की मांग करते हुए पांच घंटे से अधिक समय तक प्रदर्शन किया था।

चालक के पकड़े जाने पर खुलेंगे कई राज

पुलिस ने कार क्रमांक एमपी 20 एक्स बी 1460 के चालक के खिलाफ धारा 281, 125(ए), 125(बी), 105 बीनएनएस एवं धारा 184, 134, 187, 177 मोटरयान अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। कार सिहोरा निवासी लखन सोनी चला रहा था जबकि कार मालिक उसका भाई दीपक सोनी है। पुलिस कार मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं अगर वे बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था तो कार मालिक भी आरोपी बनेगा। इसके अलावा उसने कार मालिक ने एक्सीडेंट की जानकारी छिपाई है। किन परिस्थितियों में एक्सीडेंट हुआ इसका पता आरोपी के पकड़े जाने के बाद चलेगा। आरोपी के नशे में था या नहीं इसका पता भी गिरफ्तारी के बाद चल सकेगा।

घर में घुसे गुंडे, चलाई गोली, एक घायल

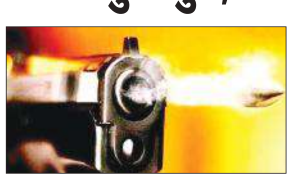

जबलपुर। बरेला थाना अंतर्गत हिनौतिया भोई में एक घर में घुसकर बदमाशों ने उपद्रव मचाया। मारपीट करने के बाद गोली चला दी। हमले में में एक युवक घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया।

पुलिस के मुताबिक श्रीमति पिंकी सोनकर 45 वर्ष निवासी हिनौतिया भोई ने लिखित शिकायत की कि दोपहर 12-30 बजे साहिल चक्रवर्ती , पवन चक्रवर्ती, दीपू चक्रवर्ती, आकाश बर्मन एवं अन्य अज्ञात लडके उसके घर के अंदर घुस गए और विवाद करने लगे। इस दौरान गोली चलाई जिससे उसके लडके विशाल सोनकर को हाथ में चोट आ गयी है। घायल विशाल सोनकर को उपचार के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया । सूचना पर पहुंची पुलिस ने रिपोर्ट पर आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

बदमाशों ने की बमबाजी , युवक घायल

घमापुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक के साथ विवाद करने के बाद बमबाजी कर दी जिसमें युवक घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि पुष्पेन्द्र बिनोदिया 26 वर्ष निवासी आशा आटा चक्की के सामने घमापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह माडुलर किचिन बनाने का काम करता है। बीती रात लगभग 10-30 बजे वह आशा आटा चक्की रामश्याम की दुकान के पास रोड पर राजा के साथ खड़ा था उसी समय तोता रजक आकर उसके साथ विवाद करने लगा, तभी शनि रजक, नीरज रजक आये दोनों अपने हाथ में सुअर मार बम रखे थे दोनों ने 2 सुअर मार फैंके जो राम श्याम की दुकान की शटर एवं दरवाजे में लगा, उसके नाक एवं आंख के नीचे चोट आई। पुलिस ने रिपोर्ट पर रिपोर्ट पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।

25 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त

नवभारत,जबलपुर। शहर को प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ बनाने की दिशा में निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मंगलवार को एक प्रभावी कार्रवाई को अंजाम दिया। संभाग क्रमांक 11 के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र इन्दिरा मार्केट में प्रतिबंधित पॉलीथिन के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान ने शहर के जागरूक नागरिकों के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजा है। प्रतिबंधित पॉलीथिन का विक्रय करते पाए जाने पर संबंधित पक्ष पर 5 हजार रुपये का स्पॉट फाइन लगाया गया, मौके से 25 किलो प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई, जिससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोका जा सका। निगमायुक्त ने बताया कि यह कार्रवाई केवल दंड नहीं, बल्कि व्यापारियों और आम जनता के लिए एक संदेश है कि शहर की स्वच्छता और स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 'हमारा उद्देश्य शहर को प्रदूषण मुक्त बनाना है।' कार्रवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम आदि उपस्थित रही।

अत्याधुनिक मशीनों द्वारा इलाज
मुँहासे | झांइयाँ | सफेद दाग | खुजली | दाद | चर्म रोग | हेयरफॉल | रंग गोरा करें
स्किन हेयर एण्ड सौन्दर्य क्लीनिक
तुरन्त हटाये तिल, मस्से, टैटू, सफेद दाग
(सोमवार मंगलवार बुधवार)
डॉ. ए. कुमार
B.Sc., B.H.M.S (Skin & VD) Pune
C.C.C.L.A.M (Cosmetologist) IICSAM,
C.C.M.T (Trichologist) IICSAM
पता- 846, छत्रपति भवन, राईट टाउन, नया महावीर जैन मंदिर, गोल बाजार, जबलपुर (म.प्र.)
मो. नं. 9307854830, 7389098734

SPARK CONVENT SCHOOL
ADMISSION OPEN 2025-2026
सम्पर्क
Branch-1: New Kanchanpur, Near Neher, Adhartal, Jabalpur MP (Nursery to 8th)
Branch-2: Vatsala Hill View, Sainik Society, Shakti Nagar, Gupteshwar, Jabalpur MP (Nursery to 5th)
Ph. 0761-4923248, Mob. 9425868370

MAHARISHI VIDYA MANDIR & MAHARISHI KIDS HOME
NAPIER TOWN JABALPUR
(Affiliated to C.B.S.E. Affiliation No. 1030295)
Special Discount in Admission Fee
ADMISSION OPEN 2026-27
* Co-Ed English Medium School
* Play Nursery- XII(12th- All Stream)
756, Napier Town Jabalpur (MP)
Phone : 0761-2411124, 4004988
Mobile No. : 9179701523, 7974333753
E-mail : mvmjabalpur2@mssmail.org
ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी जी
Brahmachari Dr. Girish Ji Chairman MVM School Group

QUTONE
SHIVAM CERAMIC JABALPUR
महाकौशल का सबसे बड़ा शो-रूम
टाइल्स, इटैलियन मार्बल, ग्रेनाइट, सेनेटरी वेअर
GROHE, Bath Fitting, QUTONE, COLORTILE, SERON & LAVISH टाइल्स की आधुनिक रेंज
MG शो-रूम के बाजू में, नागपुर रोड, मदन महल, जबलपुर - 9425188774, 8224045555

।। श्री महावीराय नमः ।।
ईमेल : arihantlee@gmail.com
पदम कुमार बोथरा
फारेस्ट कान्ट्रेक्टर
पदम बोथरा 9424955756, 9827590805
अरिहंत बोथरा 9993111102
बांस, बल्ली, कंटग, चैली, राफ्टर पटिया, प्लाई एवं सीढ़ी के थोक व फुटकर विक्रेता
हाऊबाग स्टेशन रोड, जबलपुर

नवभारत
आवश्यकता है
पद की योग्यता
देश के अनेक राज्यों से प्रकाशित नवभारत समाचार पत्र समूह के जबलपुर संस्करण के लिए निम्न पदों के लिए योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है।
एकाउंटेंट (2 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम. व टेली)
डीटीपी ऑपरेटर (5 वर्ष का अनुभव एवं कोरल ड्रा अनिवार्य)
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव (3 वर्ष का अनुभव एवं बी.कॉम/ बीबीए)
सर्कुलेशन एग्जीक्यूटिव (2 वर्ष का अनुभव एवं बीए/बी.कॉम)
नोट- स्वयं का वाहन और कम्प्यूटर में दक्षता अनिवार्य।
ऑफिस बाय (5 वर्ष का अनुभव एवं 10 वीं पास)
संपर्क करें
कार्यालय- नवभारत प्रेस, चौथापुल, महर्षि स्कूल के सामने, जबलपुर
(दोपहर 12 से शाम 8 बजे तक)
9752721239, 8305852507, 9109700824
hr.navabharat1934@gmail.com

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57